प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
गोपाल कंसारा पुत्र श्री उदयलाल जी निवासी देवगढ मदारीया जिला राजसमन्द		राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार जालोर
प्रकरण अपील		**28/2019**
कम्प्यूटर आई.डी		**2019/00086**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

18.09.2019	अपीलांट ने यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भेजते हुये जवाब प्राप्त किया जावे व जवाब की प्रति अपीलांट को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु लिखा जावे। पत्रावली 26.09.2019 को जवाव/बहस हेतु पेश हो। **प्रथम अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलेक्टर)** **जालोर**	
26.09.2019	अपीलांट अनुपस्थित।सहायक लोक सूचना अधिकारी उपस्थित।सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)जालोर का जवाब प्राप्त हुआ। सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)जालोर ने जवाब दिनांक 26.09.2019 द्वारा व्यक्त किया कि अपीलांट का सूचना के अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र के कम में आवेदित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक/4716 दिनांक 04.09.2019 द्वारा अपीलांट को भिजवाई गई। सूचना के अधिकार अधिनियम में कार्यालय में उपलब्ध सूचना ही उपलब्ध करवाई जाती है। अत: अपीलांट की अपील खारिज की जावे। सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जालोर) के द्वारा प्रस्तुत जवाब व कथन पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना के संबध में तहसीलदार जालोर द्वारा कार्यालय में उपलब्ध सूचना अपीलांट को जरिए पत्रांक/4716 दिनांक 04.09.2019 को भिजवाया जाना पाया जाता है। अत: उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। **प्रथम अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलेक्टर)** **जालोर**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.03 16:45:36 IST
Reason: SelfAttested